भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1013**

(जिसका उत्तर 04 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**सरकारी बैंकों हेतु इंद्रधनुष योजना**

**1013. कुमारी सुष्मिता देवः**
**श्री राजेश रंजनः**
**डॉ. भोला सिंहः**
**श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः**
**श्री कौशलेन्द्र कुमारः**
**श्री ए. अरुणमणिदेवनः**
**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदीः**
**श्री रायपति सम्बासिवा रावः**
**श्रीमती आर. वनरोजाः**
**श्रीमती वी. सत्यबामाः**
**प्रो. के. वी. थॉमसः**
**श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः**
**श्री संजय धोत्रेः**
**श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पाः**
**श्री दुष्यंत चौटालाः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'इंद्रधनुष' नामक एक योजना सभी सरकारी क्षेत्रक बैंकों की कुशलता और कार्यकरण को सुधारने के लिए घोषित की है जिससे उनकी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) कम हों और यदि हां, तो इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या ऋणों के भुगतान में गंभीर और जटिल समस्याओं का कारण बैंकिंग प्रणाली में कतिपय कमियों से हो सकता है जो दिन प्रतिदिन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बढ़ा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल एनपीए का ब्यौरा और स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वसूल किए गए/माफ की गई ऋण राशि बैंक और राज्य-वार कितनी है;

(घ) मामले जिनमें सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याजों का बैंकों द्वारा नुकसानदायी आस्तियों को पुनर्जीवित करने हेतु लागू करना (सरफेस) शुरू किया गया है, की संख्या कितनी है; और

(ड.) सरकार द्वारा पीएसबी के एनपीए को घटाने के लिए क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

**(क) और (ख):** भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) में उनकी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को घटाने के उद्देश्य सहित उनकी दक्षता और कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए "इंद्रधनुष" नामक एक योजना की घोषणा की है।

कई कारकों के कारण परियोजनाएं निरंतर अवरूद्ध/दबावग्रस्त हो रही है, इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप बैंकों पर एनपीए का भार बढ़ा है। हाल की समीक्षा में, विद्युत, इस्पात तथा सड़क क्षेत्रों में दबाव का कारण बन रही समस्याओं की जांच की गयी थी। यह पाया गया था कि इन परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण विभिन्न सरकारी तथा विनियामकीय एजेंसियों से परमिट तथा अनुमोदन प्राप्त करने, तथा भूमि अधिग्रहण में देरी, वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) में देरी करना; कोयला तथा गैस दोनों ईंधन की उपलब्धता में कमी; कोयला ब्लाकों को रद्द करना; लोह अयस्क खादानों को बंद करने से परियोजना की व्यवहार्यता का प्रभावित होना; पारेषण क्षमता में कमी; अपनी खरीद क्षमता घटने के कारण डिस्कॉम द्वारा विद्युत की सीमित खरीद; अतिरिक्त इक्विटी जुटाने के लिए प्रवर्तकों की सीमित क्षमता द्वारा वित्तपोषण अंतराल की स्थिति सामने आना तथा उच्च लेवरेज अनुपात को देखते हुए बैंकों द्वारा उनके ऋण जोखिम को बढ़ाने में असमर्थता; विनियामकीय बाध्यताओं के कारण व्यवहार्य पाई गई परियोजनाओं की पुनर्संरचना में बैंकों की अक्षमता थे।

**(ग):** विवरण अनुबंध पर हैं।

**(घ):** उन मामलों की संख्या, जिनमें कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना की जा चुकी है तथा जिन मामलों में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरूज्जीवन हेतु बैंकों द्वारा उठाए गए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) के तहत कार्रवाई की गई है, निम्नानुसार हैः

| | कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना | सरफासी |
|---|---|---|
| मामलों की संख्या | 66 | 317181 |

**(ड.):** सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 'वास्तविक रूप से अपूर्ण तथा लटकी हुई' राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं या परियोजनाओं को पुनरूज्जीवित करने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता, हानि में चल रहे राज्य डिस्कॉम सेवाओं को पुनरूज्जीवित करने के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए की (बैंकों से 1.95 लाख करोड़ रुपए सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों से) ऋण पुनर्संरचना तथा सुधार पैकेज तथा घरेलू इस्पात उत्पादकों को डम्पिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने हेतु इस्पात पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।

आरबीआई ने विनियामक के रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय दबाव की आरंभ में पहचान करने, समाधान के त्वरित उपाय, उधारदाताओं के लिए उचित वसूली, अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्सुदृढ़ीकरण के लिए संरचना – संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) शामिल है।

*****

*अनुबंध*

| को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सकल एनपीए तथा वसूलियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार विवरण (करोड़ रुपए में) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | बैंक का नाम | वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल एनपीए | | | | समझौता सहित बट्टे खाते डालना | | | | कुल एनपीए कटौती | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | इलाहाबाद बैंक | 2,059 | 5,137 | 8,068 | 8,358 | 1,001 | 1,352 | 782 | 2,109 | 1,821 | 2,814 | 3,090 | 4,736 |
| 2 | आन्ध्रा बैंक | 1,798 | 3,714 | 5,858 | 6,877 | 169 | 334 | 263 | 1,124 | 485 | 825 | 689 | 2,405 |
| 3 | बैंक आफ बड़ौदा | 4,465 | 7,983 | 11,876 | 16,261 | 1,215 | 2,356 | 964 | 1,564 | 2,131 | 3,326 | 2,941 | 4,130 |
| 4 | बैंक आफ इंडिया | 5,894 | 8,765 | 11,869 | 22,193 | 2,415 | 2,415 | 1,767 | 801 | 4,107 | 4,419 | 5,708 | 6,327 |
| 5 | बैंक आफ महाराष्ट्र | 1,297 | 1,138 | 2,860 | 6,402 | 395 | 663 | 401 | 264 | 753 | 967 | 867 | 1,091 |
| 6 | भारतीय महिला बैंक लि. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | केनरा बैंक | 4,032 | 6,260 | 7,570 | 13,040 | 1,460 | 1,535 | 1,591 | 1,472 | 3,695 | 3,591 | 7,134 | 5,400 |
| 8 | सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 7,273 | 8,456 | 11,500 | 11,873 | 629 | 1,061 | 1,995 | 1,386 | 1,970 | 3,942 | 4,525 | 6,206 |
| 9 | कार्पोरेशन बैंक | 1,274 | 2,048 | 4,737 | 7,107 | 565 | 709 | 463 | 779 | 719 | 1,023 | 867 | 1,369 |
| 10 | देना बैंक | 957 | 1,452 | 2,616 | 4,393 | 194 | 237 | 479 | 515 | 608 | 624 | 1,256 | 1,897 |
| 11 | आईडीबीआई बैंक लि. | 4,551 | 6,450 | 9,960 | 12,685 | 319 | 383 | 1,393 | 1,609 | 794 | 841 | 2,196 | 3,376 |
| 12 | इंडियन बैंक | 1,851 | 3,565 | 4,562 | 5,670 | 506 | 520 | 628 | 550 | 769 | 1,178 | 1,836 | 2,231 |
| 13 | इण्डियन ओवरसीज बैंक | 3,920 | 6,608 | 9,020 | 14,922 | 1,166 | 1,642 | 1,474 | 3,131 | 2,354 | 2,913 | 4,490 | 6,114 |
| 14 | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 3,580 | 4,184 | 5,618 | 7,666 | 933 | 1,416 | 1,252 | 925 | 2,238 | 2,610 | 2,593 | 2,466 |
| 15 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 763 | 1,537 | 2,554 | 3,082 | 39 | 50 | 204 | 263 | 212 | 320 | 603 | 714 |
| 16 | पंजाब नैशनल बैंक | 8,720 | 13,466 | 18,880 | 25,695 | 126 | 997 | 1,947 | 6,587 | 2,331 | 3,901 | 5,396 | 9,845 |
| 17 | सिंडिकेट बैंक | 3,183 | 2,979 | 4,611 | 6,442 | 891 | 1,297 | 1,025 | 1,527 | 2,573 | 2,347 | 2,062 | 3,669 |
| 18 | यूको बैंक | 4,086 | 7,130 | 6,621 | 10,265 | 391 | 617 | 1,423 | 1,401 | 1,465 | 2,118 | 4,470 | 3,908 |
| 19 | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 5,450 | 6,314 | 9,564 | 13,031 | 938 | 1,129 | 913 | 931 | 1,933 | 3,110 | 2,229 | 2,199 |
| 20 | युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 2,176 | 2,964 | 7,118 | 6,553 | 233 | 1,094 | 481 | 761 | 1,144 | 1,697 | 3,853 | 4,652 |
| 21 | विजया बैंक | 1,718 | 1,533 | 1,986 | 2,443 | 214 | 543 | 296 | 791 | 1,598 | 1,787 | 1,721 | 2,370 |
| 22 | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 1,651 | 2,119 | 2,733 | 2,945 | 275 | 463 | 399 | 363 | 756 | 1,160 | 1,510 | 1,475 |
| 23 | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 2,007 | 3,186 | 5,824 | 4,985 | 265 | 343 | 31 | 355 | 1,362 | 1,638 | 2,184 | 3,889 |
| 24 | भारतीय स्टेट बैंक | 39,676 | 51,189 | 61,605 | 56,725 | 744 | 5,594 | 13,177 | 21,313 | 10,362 | 20,480 | 31,100 | 34,324 |
| 25 | स्टेट बैंक आफ इंदौर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | स्टेट बैंक आफ मैसूर | 1,503 | 2,081 | 2,819 | 2,136 | 165 | 275 | 403 | 740 | 672 | 1,080 | 1,359 | 2,578 |
| 27 | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 1,888 | 2,453 | 3,758 | 4,360 | 120 | 28 | 463 | 755 | 1,061 | 1,469 | 2,759 | 4,107 |
| 28 | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 1,489 | 1,750 | 3,077 | 2,357 | 182 | 176 | 196 | 526 | 2,087 | 2,145 | 3,605 | 5,195 |
| **सरकारी क्षेत्र के बैंक** | | **1,17,262** | **1,64,462** | **2,27,264** | **2,78,468** | **15,551** | **27,231** | **34,409** | **52,542** | **49,999** | **72,324** | **1,01,042** | **1,26,671** |

*स्रोतः आरबीआई – ऑफ-साइट तुलन-पत्र ब्यौरा (वार्षिक ब्यौरा), बैंकों द्वारा यथा सूचित, वैधिक परिचालन।*